

फॉर्म

अचल सम्पत्ति विवरणिका वर्ष 2016

14

- * प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष :- विरक्त
1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम :- सुनील कुमार गौड़र आलम देवराव गौड़र
2. वर्तमान धारित पद :- कनिष्ठ अभियंता प.भार. सहायक अभियंता 220 के. (क) उपकेन्द्र पारणा
3. कार्यालय का नाम :- स.हा.म. अभियंता 220 के. (क) उपकेन्द्र पारणा
4. वर्तमान वेतन :- Basic 32830 + 6600 (D.P.) + 132% DA (52948)
5. भविष्य निधि क्रमांक :- 25117507 6. कर्मचारी संख्या :- 89414203

उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीदा, *** पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा।	सम्पत्ति से वार्षिक आय।	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.
जिला- बिन्दावा तहसील- पारणा शहर के सैतोषी माता वार्ड के अंतर्गत मे. शासना के अंतर्गत पारणा के शुबल से विवरण (1) और (2) के बिंदु	1) गृह 1883/84 का फुट पत्र हलका नं. 53 खसरा नं. 50/11 शुबल - 1883/84 पर घर का फुट किताब	2) प्लॉट 1695/45 का फुट पत्र हलका नं. 53 खसरा नं. 50/20 शुबल 1695/45 का फुट	1) गृह की अनु- मात कीमत 32 लाख रुपये लगभग 2) प्लॉट की वर्तमान अनुमात कीमत 20 लाख रुपये लगभग दोनों खसरा भाग के वर्तमान भाग के आकलन अनुसार	1) स्वयं के नाम पर 2) स्वयं के नाम पर	1) स्वयं के नाम पर पी.सी. ए. खता 11084678410 से अर्जित आय का स्वयं की क्याप से दिनांक 30.03.2010 को खरीदा जिस पर प्राप्त सौंपचरिका के अनुमति पत्र पर स्टेट बैंक पारणा से होम लोन के निर्माण कार्य किया गया 2) शासकीय स्तर के बालिका पारणा से स्वयं के नाम पर लोन लेकर दिनांक 03.11.2010 को खरीदा	विरक्त	विभागीय अनुमति पत्र के बिना उपरोक्त शुबल 1883/84 का फुट पत्र भा. रे. के माता पारणा से होम लोन 15 लाख प्राप्त पर भवन निर्माण कार्य पूर्ण किया है

* जहां लागू न हो, काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है।
टिप्पणी :- मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1985 के नियम 19 (1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 माह के अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) सम्पत्ति का विवरण देवे।

हस्ताक्षर :- [Signature]

नाम :- सुनील कुमार आलम देवराव गौड़र

पदनाम :- कनिष्ठ अभियंता प.भार. (क)